

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्
Council of Scientific and Industrial Research
२, रफ़ी मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१
2, Rafi Marg, New Delhi-110001
(नवाचार प्रबंधन निदेशालय)
(Innovation Management Directorate)

कार्यालय ज्ञापन
Office Memorandum

No. 30/GB-SciEthics/2021-CSIR

मई 02, 2022

विषय : विज्ञान और शासन में नैतिकता के लिए सीएसआईआर दिशानिर्देश CSIR Guidelines for Ethics in Science and Governance - पांच सीएसआईआर क्लस्टरों (CSIR Clusters) के लिए लोकपाल (ombudsman) का नामांकन – reg.

सन्दर्भ: CSIR ज्ञापन दिनांक जून 28, 2021 Ref: CSIR OM dated June 28, 2021;

१. सीएसआईआर में विज्ञान और शासन में नैतिकता के लिए सीएसआईआर दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, महानिदेशक, सीएसआईआर ने पांच सीएसआईआर क्लस्टरों के लिए लोकपाल का नामांकन किया है।

In order to ensure strict compliance and implementation of the CSIR Guidelines for Ethics in Science and Governance at CSIR, DG CSIR has nominated of ombudsman for five CSIR clusters.

२. सीएसआईआर इंजीनियरिंग साइंस क्लस्टर के लिए नामित लोकपाल द्वारा इस्तीफे की स्थिति में, महानिदेशक सीएसआईआर ने प्रोफेसर बीवी रेड्डी, सिविल इंजीनियरिंग विभाग और चेयरमैन, सेंटर फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज (सीएसटी), आईआईएससी बेंगलुरु के नामांकन को मंजूरी दी है।

In event of resignation by nominated Ombudsman for CSIR Engineering Science cluster, DG CSIR is now pleased to approve nomination of Prof BV Reddy, Dept of Civil engineering and Chairman, Centre for Sustainable Technologies (CST), IISC Bengaluru.

३. लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित सुझाए गए विचारार्थ विषय होंगे :

The suggested terms of reference for the Ombudsman are:

क) लोकपाल उन शिकायतों की वृद्धि की जांच करेगा जिनका या तो समाधान नहीं किया गया है या संबंधित सीएसआईआर प्रयोगशाला द्वारा अनुपयुक्त रूप से निपटाया गया है जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, या सीएसआईआर के महानिदेशक द्वारा संदर्भित कोई विशिष्ट मामला।

– वैज्ञानिक कदाचार की जांच प्रयोगशाला स्तर पर वैज्ञानिक जांच बोर्ड (एसआईबी) द्वारा की जाएगी। प्रयोगशाला स्तर पर केवल अनसुलझे मामलों, सहायक साक्ष्यों के साथ आधार योग्यता, सीएसआईआर के महानिदेशक द्वारा सिफारिश के लिए संबंधित विषय समूह के लोकपाल को भेजा जाएगा।

The Ombudsmen would investigate escalations of complaints that have either not been solved or appear to have been poorly or inappropriately handled by the concerned CSIR constituent against which the complaint has been lodged, or any specific cases referred by DG, CSIR.

---The scientific misconduct would be investigated by Scientific Investigation Board (SIB) at the laboratory level. Only unresolved cases at the laboratory level, basis merit with supporting evidences, would be referred by Director

General, CSIR to an Ombudsman of concerned subject group for recommendation.

ख) लोकपाल को स्थायी प्रकाशन, नैतिकता और वैज्ञानिक सतर्कता समिति (एसईसी) और सीएसआईआर प्रयोगशाला/सीएसआईआर मुख्यालयों के नैतिकता अधिकारी द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर लोकपाल को संबंधित सीएसआईआर प्रयोगशाला/सीएसआईआर मुख्यालयों द्वारा मामलों पर सचिवाला के साथ-साथ तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।

The Ombudsman would be provided necessary support by Standing Publications, Ethics and Scientific Vigilance Committee (SEC) and Ethics Officer of the CSIR laboratory/CSIR Hqs. When required, the Ombudsman would be provided secretarial as well as technical assistance on the cases by the concerned CSIR laboratory/CSIR Hqs.

ग) यदि आवश्यक हो तो लोकपाल किसी भी तकनीकी विशेषज्ञ का समर्थन ले सकता है।

The Ombudsman may take the support of any technical expert, if so required.

घ) लोकपाल सीएसआईआर प्रणाली के भीतर नियमों के आवेदन के समग्र सामंजस्य के लिए घनिष्ठ तालमेल और एक समूह के रूप में काम कर सकता है।


The Ombudsmen may work in close synergy and as a group, for an overall coherence of application of rules, within the CSIR system.

ड) लोकपाल का कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए होगा।

The term of the Ombudsman will be for a period of 3 years.

४. सीएसआईआर नियमों के अनुसार बैठकों के लिए लोकपाल को मानदेय और टीए/डीए का भुगतान किया जाएगा और इससे संबंधित खर्च सीएसआईआर मुख्यालय वहन करेगा।

The Ombudsman will be paid honorarium and TA/DA for the meetings, as per CSIR Rules, and the expenditure related to the same will be borne by CSIR Hqs.



(आर पी सिंह)

प्रमुख, नवाचार प्रबंधन निदेशालय

(R.P. Singh)

Head, Innovation Management Directorate

प्रति:

Copy to:

1. उपरिलिखित लोकपाल- सी एस आई आर क्लस्टर Ombudsman-CSIR cluster as above
2. निदेशक, सी एस आई आर प्रयोगशालाएं; Directors of CSIR Laboratories
3. निजी सचिव-महानिदेशक; सी एस आई आर ; संयुक्त सचिव, वित्तीय सलाहकार एवं केंद्रीय सतर्कता अधिकारी PS to DG, CSIR; JS, CSIR; FA, CSIR; and CVO, CSIR
4. सी एस आई आर हेडक्वार्टर--विभागों के प्रमुख; All HODs of CSIR Hq
5. कार्यालय प्रति office copy